GRAM : UNIVERSITY
FAX : 0512-2570006

OFF. RESI.
V.C. : 2570450 2570263
REGI. : 2570301 2570882
F.O. : 2572328 2500081

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्याणपुर, कानपुर–24
KALYANPUR, KANPUR-24

Ref. No.: CSJMU/P.P./1101 /2011

Dated 07 /02/2011

निविदा–सूचना

विश्वविद्यालय में वर्ष 2011 की परीक्षाओं हेतु ट्रेवल्स एजेंसियों से वाहन दरों हेतु निविदायें सक्षम फर्मो / एजेंसियों से दिनॉक 28 / 02 / 2011 को अपराह्न 02:00 बजे तक सहायक कुलसचिव (मु0एवं प्र0) के कक्ष में आमंत्रित की जाती है जो उसी तिथि को अपराह्न 03:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष विश्वविद्यालय परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के द्वितीय तल स्थित सभा कक्ष में खोली जायेंगी ।

निविदा प्रपत्र, आवश्यक निर्देश एवं शर्ते विश्वविद्यालय के लेखा (आय) के काउन्टर से रू0 200 / – (रूपये दो सौ मात्र) मूल्य देकर प्राप्त किये जा सकते है । शर्ते व अन्य विवरण सहित निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.kanpuruniversity.org**.पर उपलब्ध है, जिसे सीधे डाउनलोड कर, तथा उसके साथ रू0 200 / – का बैंक ड्राफ्ट जो, वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के नाम देय होगा, संलग्न कर निविदा सम्मिलित की जा सकती है ।

(महेश चन्द्र)
कुलसचिव

GRAM : UNIVERSITY
FAX : 0512-2570006

	OFF.	RESI.
V.C. :	2570450	2570263
REGI. :	2570301	2570882
F.O. :	2572328	2500081

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्याणपुर,कानपुर–24
KALYANPUR, KANPUR-24

Ref. No.: CSJMU/A.R(PP)/1101/2011 Dated 07 / 02 /2011

निविदा प्रपत्र

मूल्य–रू.200 / –(दो सौ मात्र)

विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यो हेतु ट्रेवेल एजेंसियो से वाहन दरों हेतु दिनॉक 28 / 02 / 2011 को अपराह्न 2:00 बजे तक, जिन्हें सम्बन्धित कार्य करने का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव हो, निविदायें आमंत्रित की जाती है, जो उसी तिथि को अपराह्न 3:00 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष विश्वविद्यालय परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के द्वितीय तल स्थित सभा कक्ष में खोली जायेंगी । निविदा पत्र के लिफाफे के ऊपर **"ट्रेवेल एजेंसी से वाहन दरों हेतु निविदा"** लिखना आवश्यक है । निविदा प्रपत्र में निर्धारित धरोहर राशि रू0 20,000 / –(बीस हजार मात्र) नगद या बैंक ड्राफ्ट के रूप में वित्त अधिकारी छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के नाम जमा करना आवश्यक है । धरोहर धनराशि के अभाव में निविदा पत्र पर विचार नही किया जायेगा । अपेक्षित निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.Kanpuruniversity.org** से भी डाउनलोड किये जा सकते है । किन्तु डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ रू0 200.00 (दो सौ मात्र) का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

कुलसचिव

निविदा – प्रपत्र का विवरण निम्नवत है :

1. ट्रैवेल्स एजेन्सी का नाम व पता : ....
2. ट्रैवेल्स एजेन्सी की पंजीकरण संख्या : ....
3. ट्रैवेल्स एजेन्सी का टैन नं0 : ....
4. ट्रैवेल्स एजेन्सी के स्वामी का पैन नं0 : ....
5. निविदा पत्र कय करने सम्बन्धी रूपया 200 / – का विवरण :

   बैंक ड्राफ्ट सं0 / रसीद सं0.................................दिनॉक ....बैंक का नाम......................................
6. विश्वविद्यालय में जमा की गयी प्रतिभूति राशि रू0 20,000 / –(बीस हजार मात्र) का विवरण

   बैंक ड्राफ्ट सं0 / रसीद सं0 ....दिनॉक............................ बैंक का नाम ....
7. **वाहन** **वाहन दर** **विवरण**

वाहन	वाहन दर	विवरण
मारूति वैन / टाटा सूमो / मार्शल / इण्डिका / ए.सी. / नॉन ए.सी. / डी.सी.एम. (बन्द)		
1. स्थानीय	....	....
2. बाहर	....	....

आवेदक के हस्ताक्षर :...

GRAM : UNIVERSITY
FAX : 0512-2570006

OFF. RESI.
V.C. : 2570450 2570263
REGI. : 2570301 2570882
F.O. : 2572328 2500081

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्याणपुर,कानपुर–24
KALYANPUR, KANPUR-24

ट्रैवेल्स एजेंसियों से वाहन दरों हेतु निविदा

आवश्यक निर्देश एवं शर्ते

1. ट्रैवेल्स एजेन्सी द्वारा रू0 100/–के स्टाम्प पेपर पर वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से अनुबन्ध करना होगा ।
2. ट्रैवेल्स एजेन्सी द्वारा रू0 20,000/–(बीस हजार मात्र) की सुरक्षा धनराशि कैश काउन्टर पर अथवा बैंक ड्राफ्ट जो कि वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के पक्ष में देय हो, जमा कराना अनिवार्य होगा । बिना सुरक्षा धनराशि के आपकी निविदा पर विचार करना सम्भव नही होगा ।
3. वाहन का पंजीकरण व काम्प्रहेंसिव बीमा अद्यतन होना अनिवार्य है ।
4. चालकों को समग्र रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए । चालकों के नवीनीकृत ड्राइविंग लाइसेंस सेवा प्रदाता द्वारा सुनिश्चित होना अनिवार्य है ।
5. किराये पर लिए गये वाहन का रख–रखाव तथा उस पर आया सम्पूर्ण व्यय एजेन्सी को वहन करना होगा ।
6. चालक का वेतन तथा विधिक कार्यवाही की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता (एजेन्सी) की होगी ।
7. कार्य समाप्त होने के पश्चात अनुबन्ध के अनुरूप बिल प्रस्तुत करने होंगे तथा अलग–अलग कार्य का अलग–अलग बिल प्रस्तुत करना होगा । बिलों में सम्बन्धित कार्यो का विधिवत् उल्लेख करना होगा एवं बिल सम्बन्धित अधिकारी/सहायक द्वारा सत्यापित होना चाहिए ।
8. अनुबन्ध में निर्धारित दरों का पुनरीक्षण विश्वविद्यालय के निर्णय के अधीन होगा ।
9. राष्ट्रीय बचत पत्र व एफ.डी.आर. प्रतिभूति मान्य नही होगी ।
10. एजेन्सी को किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय में कार्य करने का कम से कम 05 वर्ष अनुभव प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
11. दरों के साथ सभी प्रकार के करों का भी स्पष्टतः उल्लेख किया जाना चाहिए । स्पष्टतः उल्लिखित किये गये करों के अतिरिक्त अन्य कोई कर/शुल्क आदि का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा नही किया जायेगा ।
12. समस्त दूरियों की माप विश्वविद्यालय मुख्यालय (प्रशासनिक भवन) से की जायेगी ।

कुलसचिव